स्पीड पोस्ट द्वारा

DGT-Daff/26/2020-O/o DIR(TC)(Rajasthan)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 15.06.2021

सेवा में,

श्रीमान प्रधानाचार्य जी,
न्यू टारगेट प्राइवेट आईटीआई,
तहसील- चोमू, जिला - जयपुर,
राजस्थान - 303702

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय,

संचालक, कौशल नियोजन एवं उधमिता विभाग, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय (प्रशिक्षण), राजस्थान, जोधपुर द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा. औप्रस. / De.Aff. / 2020/25138 दिनांक 11.06.2021 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की इस महानिदेशालय को दिनांक 11.06.2021 को ईमेल द्वारा प्राप्त हुआ है, जिसमे यह बताया गया है कि **आपके संस्थान में अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा नवम्बर 2020 दौरान पाई गयी गम्भीर अनियमितताओं एवं एन सी वी टी मानदण्डों के अनुसार संचालन नहीं पाया गया है** । अंत: राजस्थान सरकार द्वारा आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । **(पत्र की प्रति संलग्न)**

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के **15 दिन के भीतर (30.06.2021 तक)** प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते है । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

- आप कारण बताओ नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर प्रेषित कर सकते है |

भवदीय

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

सुनील गुप्ता
(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, कौशल नियोजन एवं उधमिता विभाग, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय (प्रशिक्षण), W-6 रेसीडेंसी रोड़ गौरव पथ, जोधपुर-342001, (राजस्थान) |
2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड- PR08001362) |

रवि 15/6/2021
(रवि चिलुकोटी)
संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

राजस्थान सरकार
कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग,
प्राविधिक शिक्षा निदेशालय (प्रशिक्षण), राजस्थान, जोधपुर
डब्ल्यू–6,रेजिडेन्सी रोड़ गौरव पथ, जोधपुर 342001

क्रमांक –प.स.7(12)/प्र–1/प्रा.औप्रस./De.Aff./2020/25138 दिनांक 11.06.2021

उपमहानिदेशक प्रशिक्षण
प्रशिक्षण महानिदेशालय,
कौशल विकास एंव उद्यमशिलता मंत्रालय,
रूम नं. 105,प्रथम तल, एम्प्लायमेंट एक्सचेंज बिल्डिग,
पूसा आईटीआई केम्पस के पास, पूसा नई दिल्ली–110012

विषयः–प्राइवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के डीएफिलेशन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आरसीवीईटी परीक्षा शाखा जोधपुर द्वारा विभिन्न पत्र प्रेषित कर निम्नलिखित प्राइवेट औ.प्र.संस्थानों में औजार उपकरण,साजो सामान नहीं होने के कारण संस्थान में अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा नवम्बर 2020 का संचालन नहीं होने के कारण इन संस्थानों के विरूद्ध डीएफिलेशन की कार्यवाही प्रस्तावित की गयी थी। राज्य निदेशालय द्वारा इन संस्थानों को कारण बताओं नोटिस जारी कर इनसे स्पष्टीकरण/प्रतिउत्तर मांगा गया था। इन संस्थानों का भौतिक सत्यापन करवाये जाने पर संस्थान एनसीवीटी मानदण्डानुसार संतोषपूर्ण नहीं पाये गये। विवरण निम्नानुसार है।

क्रम संख्या	NCVT MIS CODE	औ.प्र.संस्थानों के नाम	संलग्न
1.	PR08001631	GYAN GANGA PRIVATE ITI, AMBUJA CEMENT BALUPURA, DIST. PALI	आरसीवीईटी जोधपुर द्वारा प्रेषित पत्र की प्रति एवं निदेशालय जोधपुर द्वारा जारी कारण बताओं नोटिस की प्रति एंव जांच रिपोर्ट।
2.	PR08001362	NEW TARGET PRIVAE INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE,TEHSIL. CHOMU, DIST. JAIPUR-303702 RAJASTHAN	आरसीवीईटी जोधपुर द्वारा प्रेषित पत्र की प्रति एवं निदेशालय जोधपुर द्वारा जारी कारण बताओं नोटिस की प्रतिएंव जांच रिपोर्ट।
3.	PR08000136	VISHVAKARMA PRIVATE INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, NEAR GOVT. INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, MALPURA ROAD, DUDU (JAIPUR)	आरसीवीईटी जोधपुर द्वारा प्रेषित पत्र की प्रति एवं निदेशालय जोधपुर द्वारा जारी कारण बताओं नोटिस की प्रति एंव जांच रिपोर्ट।

उपरोक्त संस्थानों के अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा नवम्बर 2020 दौरान पाई गयी गम्भीर अनियमितताओं एवं एन सी वी टी मानदण्डों के अनुसार संचालन नहीं पाये जाने के कारण डीएफिलिएशन की कार्यवाही प्रस्तावित हैं। कृपया डीएफिलिएशन की कार्यवाही शीघ्र कराने की आवश्यक कार्यवाही करा सूचित कराने का श्रम करावे।

संलंग्नः–उपरोक्तानुसार

भवदीय

निदेशक प्रशिक्षण

क्रमांक –प.स.7(12)/प्र–1/प्रा.औप्रस./De.Aff./2020/25139-142 दिनांक 11.06.2021

प्रतिलिपीः--

1. निजी सचिव, कार्यालय राज्य मंत्री, कौशल नियोजन एंव उद्यमिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को सूचनार्थ।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, शासन सचिवालय जयपुर को सुचनार्थ।
3. निदेशक आर.सी.वी.टी. जोधपुर को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित है।
4. निदेशक एंव संयुक्त शासन सचिव, सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग जी–3/1, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक, जयपुर को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

निदेशक प्रशिक्षण

राजस्थान सरकार
कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग,
राजस्थान व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद्, जोधपुर
आई.टी.आई. सर्कल के पास, सरस डेयरी रोड़, हेवी इण्डस्ट्रीयल एरिया, जोधपुर (342003)
E-Mail: exam.dte.trg.raj@gmail.com, rcvet.exam.raj@gmail.com

क्रमांक : प.स.9(5)/प्र–5/आरसीवीईटी/परीक्षा/नव.2020/8695 दिनांकः 3/12/

निदेशक प्रशिक्षण,
प्राविधिक शिक्षा निदेशालय राजस्थान,
जोधपुर।

विषयः न्यु टारगेट प्राईवेट औ.प्र. संस्थान, चौमु (जिला–जयपुर) के विरूद्ध **Deaffiliation** कार्यवाही के संबंध में।
संदर्भः कोर्डिनेटर अधिकारी, राजकीय औ.प्र. संस्थान, जयपुर की रिपोर्ट दिनांक 28.11.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा नवम्बर, 2020 हेतु डीजीटी भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक दिनांक 19.12.2019 (प्रति संलग्न) के निर्देशानुसार औ.प्र. संस्थानों को Self Center बनाये गये थे। जयपुर जिले में स्थित न्यु टारगेट प्राईवेट औ.प्र. संस्थान, चौमु (जिला–जयपुर) को भी परीक्षा का Self Center बनाया गया था।

संस्थान में परीक्षा हेतु नियुक्त कोर्डिनेटर अधिकारी, राजकीय औ.प्र. संस्थान, जयपुर द्वारा संदर्भित रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि उक्त संस्थान में साजो–सामान नहीं होने के कारण प्रायोगिक परीक्षा कराना सम्भव नहीं है। संस्थान प्राचार्य द्वारा तथ्यों को स्वीकार करते हुए अवगत कराया है कि संस्थान भवन को खाली कर दिया गया है। अतः डीजीटी के पत्रांक दिनांक 19.12.2019 के निर्देशानुसार उक्त संस्थान में परीक्षा निरस्त की जाकर प्रशिक्षणार्थियों की परीक्षा राजकीय औ.प्र. संस्थान, जयपुर में आयोजित करने की व्यवस्था की गई। कोर्डिनेटर अधिकारी की रिपोर्ट संलग्न है।

अतः डीजीटी भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक दिनांक 19.12.2019 के निर्देशानुसार **न्यु टारगेट प्राईवेट औ.प्र. संस्थान, चौमु (जिला–जयपुर)** में एनसीवीटी मानण्डानुसार औजार–उपकरण, साजो–सामान उपलब्ध नहीं होने तथा संस्थान में परीक्षा संचालन नहीं हो पाने की स्थिति के फलस्वरूप संस्थान के विरूद्ध **Deaffiliation** की कार्यवाही प्रस्तावित की जाती है।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

भवदीय

निदेशक, आरसीवीईटी

क्रमांक : प.स.9(5)/प्र–5/आरसीवीईटी/परीक्षा/नव.2020/8696-98 दिनांकः 3/12/

1. उपनिदेशक प्रशिक्षण, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, जोधपुर।
2. उपनिदेशक प्रशिक्षण, प्राविधिक शिक्षा, क्षैत्रीय कार्यालय, जयपुर।
3. आचार्य एवं सदस्य सचिव, जिला स्तरीय परीक्षा संचालन समिति जयपुर।

उपनिदेशक, आरसीवीईटी

राजस्थान सरकार
कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, राजस्थान
प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर
5, गौरव पथ, रेजीडेन्सी रोड, जोधपुर (राज.)

क्रमांकःआ.-प्रा.शि.नि./सामान्य/20-21/ 10047

दिनांक 13/1/2021

प्राचार्य/अधीक्षक
न्यू टारगेट प्राईवेट औ.प्र. संस्थान
चौमु जिला जयपुर।

P1026

कारण बताओ नोटिस (Show Cause Notice)

विषय— संस्थान के एनसीवीटी परीक्षा नवम्बर 2020 के दौरान पायी गयी गम्भीर कमियों/ अनियमितताओं (Deficiencies / Irregularaties) के स्पष्टीकरण के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आरसीवीईटी के पत्र क्रमांक 80195 दिनांक 9.12.2020 के द्वारा आपके औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में एनसीवीटी परीक्षा नवम्बर 2020 के दौरान शिकायत / जॉच रिपोर्ट विभाग को प्राप्त हुई है। उपरोक्त जॉच रिपोर्ट के आधार पर संस्थान में गम्भीर अनियमितताएँ पायी गयी हैं।

निरीक्षण के दौरान आपके संस्थान, में निम्न कमिया पायी गयी —

1 संस्थान में एनसीवीटी के मानदण्डानुसार आवश्यक औजार उपकरण, साजो–सामान उपलब्ध नहीं थे।
2 कार्डिनेटर की सूचना अनुसार साजो सामान(कच्ची सामग्री, उपकरण एवं मशीनरी) नहीं होने के कारण एनसीवीटी प्रायोगिक परीक्षा सम्पन्न नहीं करवाई जा सकी।
3 संस्थान प्राचार्य द्वारा स्वंय अवगत करवाया गया है कि संस्थान किराये के भवन में संचालित है व मकान मालिक से किराया के लिये विवाद हो जाने के कारण संस्थान को लॉक कर दिया गया है।

अतः आपको इस नोटिस के साथ निर्देशित किया जाता है कि संस्थान अपना स्पष्टीकरण (मय प्रमाण) के साथ में 10 दिवस की अवधि में निदेशालय को प्रेषित करे।

कृपया अवगत रहे कि स्पष्टीकरण संतोषजनक न होने की स्थिति व NCVT Norms अनुसार संस्थान का संचालन न होने की स्थिति में संस्थान के विरूद्ध डी–एफिलिएशन सहित अन्य आवश्यक कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए प्रकरण डीजीटी भारत सरकार को प्रेषित कर दिया जाएगा।

भवदीय
13/1/2021
निदेशक, प्रशिक्षण

आई टी आई (ITI) हेतु निरीक्षण प्रपत्र

1. निरीक्षण अधिकारी का नाम व पद: सैयद जाकिर अली, अधीक्षक

2. निरीक्षण दिनांक व समय: 16.03.2021 10:00 A.M.

भाग–1 : सामान्य

1	संस्थान का नाम पता वेबसाइट पता दूरभाष नं0 P CODE/ DGT MIS CODE	NEW TARGET I.T.I. CHOMU, JAIPUR 9413929111 P 1025
2	संस्थान प्रधान का नाम एवं पद	श्री महेन्द्र सिंह प्राचार्य [illegible]
3	संस्थान की दैनिक कार्यावधि	प्रथम पारी – ... बजे से ... बजे तक द्वितीय पारी – ... बजे से ... बजे तक — N.A. —

4. स्वीकृत व्यवसाय, प्रवेश एवं प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति :

	स्वीकृत व्यवसाय / यूनिट का नाम	NCVT / SCVT	वास्तविक का प्रवेश संख्या	उपस्थिति पंजिका में दर्ज उपस्थिति संख्या	वास्तव में उपस्थित पाए गए प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	कक्षा / कार्यशाला में अनुदेशक उपस्थित है अथवा	कक्षा में अध्ययन / कार्यशाला में अभ्यास चल रहा है अथवा नहीं	व्यवसाय हेतु [illegible] उपस्थिति [illegible] (विवरण संलग्न / [illegible])
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								

संस्था बंद पाया गया है। अन्य स्थान में कॉलेज चल रहा है।

(निरीक्षण अधिकारी [illegible] की पुष्टि [illegible] करें।)

[signature] 16/03/21

अधीक्षक
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
आमेर राजावास (जयपुर)
राजस्थान 302013

(ड) कक्षाओं में फर्नीचर की व्यवस्था

(च) कार्यशाला में [illegible] द्वारा निर्धारित [illegible] औजार उपकरण व सामग्री की उपलब्धता व व्यवस्था

(छ) प्रत्येक मशीन पर मेंटेनेन्स चार्ट की उपलब्धता

(ज) [illegible] अनुरक्षण

(झ) Syllabus Break up की उपलब्धता

(ञ) [illegible] अद्यतन हैं या नहीं

(ट) [illegible] (Trade Theory) [illegible] Trade Practical / Assignment पुस्तकों की उपलब्धता एवं [illegible]

(ठ) [illegible] (Projector) [illegible] की उपलब्धता

(ड) नोटिस बोर्ड की उपलब्धता एवं अद्यतन है अथवा नहीं

6. वैद्युत एवं जल व्यवस्था

(i) निर्धारित विद्युत भार [illegible] — निर्धारित .... किलोवाट / स्वीकृत .... किलोवाट; पर्याप्त / अपर्याप्त

(ii) कार्यशाला व कक्षाओं में रोशनी व पंखों की व्यवस्था

(iii) जल का स्रोत व [illegible] व्यवस्था

(iv) [illegible]

7. पुस्तकालय की व्यवस्था

8. सुरक्षा

(i) कार्यशाला व कक्षाओं [illegible]

(ii) [illegible]

(iii) [illegible]

(iv) [illegible] चालू [illegible]

9. प्रशिक्षणार्थियों के लिये सुविधायें

(i) [illegible]

(ii) [illegible]

(iii) [illegible]

(iv) [illegible]

10. संस्थान की व्यवस्था

(i) [illegible]

(ii) [illegible]

(iii) [illegible]

(iv) कक्षाओं में फर्नीचर की उपलब्धता

(v) [illegible] कोड एवं पहचान पत्र [illegible] जा रही हैं

11. संस्थान प्रबन्धन

[illegible] (IMC) [illegible] सलाहकार [illegible] (LAC) गठित है अथवा नहीं

[illegible] हो रही है अथवा नहीं।

संस्थान बन्द हो गया है / कोई भी रिकॉर्ड नहीं है

निरीक्षण अधिकारी का अभिमत : संस्थान NCVT मापदण्ड अनुसार संतोषप्रद पाया गया / ~~संतोषप्रद नहीं पाया गया~~ संतोषप्रद नहीं

निरीक्षण अधिकारी की टिप्पणी :- [illegible]

संस्थान दो वर्ष पूर्व बन्द हो चुका है। वर्तमान में [illegible] महाविद्यालय चल रहा है। महाविद्यालय के Staff से मालूम हुआ कि यहाँ से I.T.I. का सारा साजो सामान जा चुका है। उन्हीं लोगों ने I.T.I. के निदेशक व प्राचार्य से फोन पर बात करवायी। संस्थान प्रधान श्री महेन्द्र सिंह जी ने भी बताया कि दो वर्षों से [illegible] नहीं है। संस्थान बन्द कर दिया है। भवन और चार दीवारी और रास्तों पर कहीं भी NEW TARGET I.T.I. का नाम निशान तक नहीं है।

अधीक्षक
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
आमेर राजावास (जयपुर)
राजस्थान 302013

15/03/2[illegible]